



अभियान सजा का

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के द्वारा आपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तगण को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 13500 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.06.2020 को अभि0 द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0-139/2020, धारा- 376,342,506,120B भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम 1-मोहित सक्सैना पुत्र रामगोपाल सक्सैना निवासी अजीतपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर 2-बबली पाठक पत्नी विनायक पाठक निवासी मौ0 शान्ति कॉलोनी थाना बिलासपुर, रामपुर पंजीकृत किया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- 04.09.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे-7, रामपुर द्वारा अभियुक्तगण 1-मोहित सक्सैना 2-बबली पाठक उपरोक्त को **10 वर्ष का कठोर कारावास व 13500 रू0** अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजा का विवरण:-

अभियुक्तगण 1-मोहित सक्सैना 2-बबली पाठक उपरोक्त को **10 वर्ष का कठोर कारावास व 13500 रू0** अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1-मोहित सक्सैना पुत्र रामगोपाल सक्सैना निवासी अजीतपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर ।

2-बबली पाठक पत्नी विनायक पाठक निवासी मौ0 शान्ति कॉलोनी थाना बिलासपुर, रामपुर ।

 @rampurpolice

 रामपुरपुलिस

 @रामपुरपुलिस

 7839859826